न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) बीकानेर मु0 कोलायत
पीठासीन अधिकारी :– साँवरमल रैगर, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :–12 / 2023

1. मुख्त्यारसिंह पुत्र श्री प्रीतमसिंह
2. बलविन्द्रसिंह पि0 शेरसिंह
3. जीतसिंह पि0 शेरसिंह
4. हरबंससिंह पुत्र निहालसिंह
5. महिन्द्र कौर पत्नि अंग्रेजसिंह

} जाति जटसिख निवासी कोटला मेहरसिंह वाला तहसील मोगा जिला फरीदकोट हाल अनुसार तहसील बागा जिला मोगा

––––प्रार्थीगण

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु. कोलायत –अप्रार्थी–
2. बलौरसिंह
3. अवतारसिंह
4. चमकौरसिंह

} पि0 प्रीतमसिंह

5. दर्शनसिंह
6. बेन्तसिंह
7. सुखदेवसिंह
8. बलवीरसिंह
9. रेशमसिंह
10. गुरनामसिंह

} पि0 निहालसिंह

11. हरिमन्द्रसिंह उर्फ हरजीन्द्रसिंह
12. नवनीत कौर

} पि0 अंग्रेजसिह

} जाति जटसिख निवासी कोटला मेहरसिंह वाला तहसील मोगा जिला फरीदकोट हाल अनुसार तहसील बागा जिला मोगा

–––– प्रफोर्मा अप्रार्थीगण

दावा अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री रणजीतसिंह निर्वाण वकील प्रार्थी
2. राजपैरोकार उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत

न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम–बीकानेर, मु. कोलायत

– : निर्णय :–

दिनांक :– **24 सितबर 2024**

1. प्रार्थी के वकील ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं0 2ता12 आपस में रिश्तेदार हैं। प्रार्थीगण सं0 1 व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण सं0 2ता4 के पिता प्रीतमसिंह पुत्र सुरजनसिंह व प्रार्थीगण 2 व 3 व प्रार्थीगण सं0 4 व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण सं0 5ता10 के पिता निहालसिंह व प्रार्थीगण सं0 5 के ससुर व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण सं0 11 व 12 के दादा जी श्री निहालसिंह के समय से वाके रोही ग्राम सुरजडा के खेत खसरा नंबर 77 में 45.9 बीघा व ख0न0 541 / 83 / 01 में 50 बीघा खरीदशुदा खातेदारी कृषि भूमि चली आ रही थी। प्रार्थीगण व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण सं0 2 ता12 के नाम से चली आ रही वाके रोही ग्राम सुरजडा के खेत खसरा 77 में 45.9 बीघा खातेदारी कृषि भूमि जो कि मिसल बदोबस्त अनुसार पन्नेसिंह पुत्र तख्तसिंह राजपूत निवासी सुरजडा की खातेदारी कृषि भूमि थी तथा उसी अनुसार प्रार्थीगण व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण स0 2 ता12 के नाम खातेदारी कृषि भूमि चली आ

(साँवरमल रैगर)
सहायक आयुक्त उपनिवेशन
कोलायत

रही थी लेकिन बिना किसी सक्षम अधिकारों के आदेश के बिना व बिना उचित कारण के संवत 2072 में गिरदावरी तहरीर करते समय प्रार्थीगण के गांव का ना कोटला मेहरसिंह वाला का नाम के स्थान पर गोल घेरा करके खातेदार से गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड राजस्व कर दिया गया जिसमें प्रार्थीगण रिकार्ड दुरूस्ती करवाकर पुनः खातेदार दर्ज रिकार्ड करवाने के पूर्ण हकदार व अधिकारी है। प्रार्थीगण व प्रफोर्मा सं0 2ता12 की भूमि वाके रोही ग्राम सुरजडा के खेत खसरा नंबर 77 की 45.9 बीघा कृषि भूमि चकबन्दी के पश्चात मुताबिक सूची नं 8 के चक 3 बीएनएम के मु0नं0 37/4/6 के कि0न0 6,14ता18, 23ता25 में 9 बीघा, मु0न0 37/4/10 के कि0न0 1,2, 9ता12, 18ता23 में 12 बीघा, मु0न0 37/5/11 कि0न0 1ता3, 8ता13 में 9 बीघा मु0न0 37/4/7 के कि0न0 2ता14 में 14 बीघा, मु0न0 37/4/3 के कि0न0 15 में 1 बीघा कुल तादादी 45 बीघा कमाण्ड भूमि फीट हुई है तथा वर्तमान रिकार्ड राजस्व में खातेदार से गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी मुतनाजा वाके रोही ग्राम सुरजडा के खेत खसरा नंबर 77 की 45.9 बीघा भूमि मिसल बदोंबस्त की खातेदार कृषि भूमि है तथा किसी प्रकार के आवंटन की भूमि नहीं रही है व विधि विरूद्ध गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड राजस्व किया गया है।

2. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी पैरोकारराज उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत से जवाब चाहा गया जो प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। राज पैरोकार के जवाब के अनुसार ग्राम सुरजडा के मिसल बदोंबस्त के अनुसार ग्राम सुरजडा के ख0न0 77 में 45.9 बीघा भूमि मौरूसी खातेदार के रूप में दर्ज है।

3. प्रार्थी के वकील ने प्रार्थना पत्र के सलंग्न प्रार्थी का शपथ पत्र, नकल मिसल बदोंबस्त, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2057 से 72 प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है।

4. प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र के सलंग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। मुताबिक प्रार्थना पत्र अनुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ग्राम सुरजडा के ख0न0 77 मिसल बदोंबस्त में खुदकाश्त खातेदार दर्ज है एवं प्रार्थीगण द्वारा मौरूसी खातेदार से भूमि कय की है जिसका अभिलेख में अंकन है। विभागीय परिपत्र दिनांक 18.05.2002 के द्वारा प्रार्थीगण को मातहत तहसील द्वारा गलत रूप से गैर खातेदार दर्ज किया गया है। अतः खसरा नंबर 77 तादादी 45.45 बीघा भूमि को पुनः खातेदार दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं साथ ही मोहिन्द्र कौर के स्थान पर महिन्द्र कौर व हरिमन्द्र सिंह के स्थान पर हरजिन्द्रसिंह का संशोधन किया जाता है। अगर रकबा चकों में पैमूद हो चुका है तो उक्तानुसार अभिलेख में अंकन किया जावे। निर्णय की प्रति उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत को पालनार्थ भेजी जावे।

5. पत्रावली तदनुसार फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 24.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन * प्रथम–बीकानेर मु. कोलायत *

(साँवरमल रैगर)
आर.ए.एस.
सहायक आयुक्त उपनिवेशन
(प्रथम), बीकानेर मु0 कोलायत